न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुधाट)।

छोटानागपुर का तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 45 वर्ष 2024

आवेदक– लक्ष्मण रविदास वगै0	क्रेता– श्रीमति राधा देवी
ग्राम– बनचतरा टोला–	ग्राम– चुट्टे टोला–
थाना– चतरोचट्टी जिला–बोकारो	थाना– चतरोचट्टी जिला–बोकारो

आदेश की क0स0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्ष्र 02	आदेश पर क कार्रवाई के टिप्पणी तारी 03

18.9.2024

आदेश

यह वाद आवेदक 01. लक्ष्मण रविदास, पिता–स्व0 महरू रविदास, वर्तमान पता ग्राम–बनचतरा थाना–चतरोचट्टी 02. भगन रविदास, पिता–स्व0 सोमर रविदास, वर्तमान पता–ग्राम–चुट्टे, पो0–चुट्टे, थाना– चतरोचट्टी, जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नाकिंत जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
खरना	79	6	835	06	03 डी0	धान खेत
			836	08	$4\frac{1}{2}$ डी0	तीन टांड दो

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,00,000/–(एक लाख) रूपये में क्रेता–श्रीमति राधा देवी, पति –मल्लु तुरी, पता–ग्राम–चुट्टे, पो0–चुट्टे, थाना– चतरोचट्टी, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 813/रा0, दिनांक 13.07.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–698, दिनांक–12.09.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता चमार एवं क्रेता तुरी जाति के सदस्य हैं जो अनुसुचित जाति के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एंक ही जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में जानकी चमार के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–7, भौलुम सं0–1 पर जानकी चमार के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वित्तिय वर्ष 1990–91 से वर्ष 2024–25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिकेता का संबंध पोता का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में जानकी चमार के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–7, भौलुम सं0–1 पर जानकी चमार के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वित्तिय वर्ष 1990–91 से वर्ष 2024–25 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– खतियान की छायाप्रति है, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता चमार एवं क्रेता तुरी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एंक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक–01. लक्ष्मण रविदास, पिता–स्व0 महरू रविदास, वर्तमान पता ग्राम–बनचतरा थाना–चतरोचट्टी 02. भगन रविदास, पिता–स्व0 सोमर रविदास, वर्तमान पता–ग्राम–चुट्टे, पो0–चुट्टे, थाना– चतरोचट्टी, जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
खरना 79	6	835 836	06 08	03 डी0 $4\frac{1}{2}$ डी0	रास्ता	मिठु कमार	दुखन रविदास	बंधन रविदास
			कुल	$7\frac{1}{2}$ डी0 (साढे सात डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 1,00,000/–(एक लाख)रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता–श्रीमति राधा देवी, पति –मल्लु तुरी, पता–ग्राम–चुट्टे, पो0–चुट्टे, थाना– चतरोचट्टी, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

18.9.24
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

18.9.24
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.01 23:23:29 -08:00
Location: 192.168.1.34